

**फर्द अहकाम**  
**कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द**

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय-मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड़, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि-682018 तथा शाखा कार्यालय-द्वितीय तल, प्रेस्टिज टावर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत श्री नितेश कुमार खण्डेलवाल।

- प्रार्थी कंपनी

**बनाम**

1. श्री डुलहे सिंह राठौड पुत्र श्री हीरसिंह राठौड़ निवासी प्लाट नं. 82, मादरेचों का गुडा, नाथोवाडा, नीयर नागनेछा माता मंदिर, राजसमंद (राजस्थान) - 313321

एवं

पता - मिराज फ़ैक्ट्री, लेबर कॉन्ट्रेक्टर, 313301

एवं

निवासी - गाँव मादरेचों का गुडा, ग्राम पंचायत भैंसाकमेड, पंचायत समिति खमनोर  
जिला राजसमंद (राजस्थान) - 313321 - ऋणी

2. श्रीमती प्रेम कंवर राठौड पत्नि श्री दुलहे सिंह राठौड़ निवासी प्लाट नं. 82, मादरेचों का गुडा, नाथोवाडा, नीयर नागनेछा माता मंदिर, राजसमंद (राजस्थान) - 313321

एवं

निवासी - गाँव मादरेचों का गुडा, ग्राम पंचायत भैंसाकमेड, पंचायत समिति खमनोर  
जिला राजसमंद (राजस्थान)-313321 - सहऋणी

- अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 80/2022

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
दिनांक 02.01.2023	<p>प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर ने दिनांक: 12.10.2022 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या 025-02500272 के द्वारा 8,53,704/- अक्षरे आठ लाख तरप्पन हजार सात सौ चार रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्तियों को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया था। बंधक सम्पत्ति का</p>	



**विवरण:-** श्री दुल्हे सिंह राठौड़ पुत्र श्री हीरसिंह राठौड़ निवासी :- मादरेचों का गुडा तहसील खमनोर जिला राजसमंद की अचल आवासीय संपत्ति ग्राम मादरेचों का गुडा, ग्रा.पं. भैंसाकमेड, पं.सं. खमनोर जिला राजसमंद में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1729 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पड़ोस निम्न प्रकार है कि पूर्व :- श्री निर्भयसिंह मेघसिंह का खेत, पश्चिम :- श्री रायसिंह दौलतसिंह का खेत, उत्तर :- स्वयं का भुखण्ड एवं रास्ता, दक्षिण :- स्वयं का खेत। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 11.01.2022 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण का खाता अक्रियान्वित आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 879751/- अक्षरे आठ लाख उन्चासी हजार सात सौ इक्यावन रूपये मात्र दिनांक 31.03.2022 तक शेष व देय हैं। दिनांक 01.04.2022 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 22.03.2022 को अप्रार्थीगण को नोटिस भिजवाये गये। जिसकी प्राप्ति अप्रार्थीगण को दिनांक 30.03.2022 एवं 01.04.2022 को होने के बावजूद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी उक्त वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 22.03.2022 को जारी किये गये थे। भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइनमेंट दिनांक 30.03.2022 एवं 01.04.2022 अनुसार नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके है। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण:- श्री दुल्हे सिंह राठौड़ पुत्र श्री हीरसिंह राठौड़ निवासी: मादरेचों का गुडा तहसील खमनोर जिला राजसमंद की अचल आवासीय संपत्ति ग्राम मादरेचों का गुडा, ग्रा.पं. भैंसाकमेड, पं.सं. खमनोर जिला राजसमंद में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1729 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी



चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि पूर्व :- श्री निर्भयसिंह मेघसिंह का खेत पश्चिम :- श्री रायसिंह दौलतसिंह का खेत, उत्तर :- स्वयं का भुखण्ड एवं रास्ता दक्षिण :- स्वयं का खेत ।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ़तर हो।



(नीलाभ सक्सेना)  
जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द